

बिहार लोक सेवा आयोग  
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना - 800001

एकीकृत 69वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों से अलग-अलग सेवाओं/संवर्गों के लिए प्राप्त रिक्तियों (आरक्षण कोटिवार) के आलोक में अधियाचना भेजी गई है। अधियाचनानुसार 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा एवं अन्य के माध्यम से नियुक्ति करने हेतु प्राप्त पद/सेवा निम्नांकित सारणी-I एवं सारणी-II में दर्शायी गयी है:-

सारणी - I (69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा)

| क्र. सं.     | विभाग/पद एवं अन्य संवर्ग का नाम  | वेतनमान  | आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ                   |               |                 |                    |             |                          |                        | कुल पद     | स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी | दिव्यांग                                 | न्यूनतम उम्र |
|--------------|--|----------|--|---------------|-----------------|--------------------|-------------|--------------------------|------------------------|------------|---|--|--------------|
|              |  |          | अनारक्षित                                  | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्ग | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | पिछड़े वर्गों की महिला |            |   |  |              |
|              |  |          | महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या |               |                 |                    |             |                          |                        |            |   |  |              |
| 01           | जिला समादेष्टा, गृह विभाग (विशेष शाखा)   | Level -9 | 01   | 00            | 00              | 00                 | 00          | 00                       | 00                     | 01         | 00  | 00                                       | 20 वर्ष      |
|              |  |          | 00   | 00            | 00              | 00                 | 00          | 00                       | 00                     |            |   |  |              |
| 02           | राज्य-कर-सहायक आयुक्त (बिहार वित्त सेवा), वाणिज्य-कर-विभाग   | Level -9 | 00   | 00            | 00              | 00                 | 03          | 00                       | 00                     | 03         | 00  | 00                                       | 22 वर्ष      |
|              |  |          | 00   | 00            | 00              | 00                 | 00          | 00                       | 00                     |            |   |  |              |
| 03           | अवर निर्वाचन पदाधिकारी, (बिहार निर्वाचन सेवा) निर्वाचन विभाग   | Level -9 | 01   | 00            | 00              | 02                 | 01          | 00                       | 00                     | 04         | 00  | 00                                       | 22 वर्ष      |
|              |  |          | 00   | 00            | 00              | 00                 | 00          | 00                       | 00                     |            |   |  |              |
| 04           | ईख पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग   | Level -9 | 01   | 01            | 00              | 00                 | 00          | 00                       | 00                     | 02         | 00  | 00                                       | 22 वर्ष      |
|              |  |          | 01   | 00            | 00              | 00                 | 00          | 00                       | 00                     |            |   |  |              |
| 05           | बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग), शिक्षा विभाग  | Level -9 | 01   | 01            | 00              | 00                 | 00          | 00                       | 00                     | 02         | 00  | 00                                       | 22 वर्ष      |
|              |  |          | 01   | 00            | 00              | 00                 | 00          | 00                       | 00                     |            |   |  |              |
| 06           | अधीक्षक मद्य निषेध, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग   | Level -9 | 01   | 01            | 00              | 00                 | 00          | 00                       | 00                     | 02         | 00  | 00                                       | 21 वर्ष      |
|              |  |          | 00   | 00            | 00              | 00                 | 00          | 00                       | 00                     |            |   |  |              |
| 07           | जिला नियोजन/पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग   | Level -9 | 03   | 00            | 00              | 01                 | 01          | 01                       | 00                     | 06         | 00  | 00                                       | 22 वर्ष      |
|              |  |          | 01   | 00            | 00              | 00                 | 01          | 00                       | 00                     |            |   |  |              |
| 08           | प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग   | Level -7 | 13   | 03            | 01              | 05                 | 00          | 03                       | 04                     | 29         | 01  | VI - 01<br>DD - 01                       | 21 वर्ष      |
|              |  |          | 04   | 01            | 01              | 01                 | 00          | 01                       |                        |            |   |  |              |
| 09           | राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष, (बिहार राजस्व सेवा), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  | Level -7 | 81   | 24            | 01              | 27                 | 15          | 17                       | 03                     | 168        | 03  | VI - 02<br>DD - 02<br>OH - 02<br>MD - 01 | 21 वर्ष      |
|              |  |          | 24   | 10            | 01              | 11                 | 05          | 05                       |                        |            |   |  |              |
| 10           | प्रखंड अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण पदाधिकारी, (बिहार अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण पदाधिकारी संवर्ग), अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण विभाग | Level -7 | 06   | 05            | 01              | 02                 | 03          | 01                       | 00                     | 18         |   | OH - 01                                  | 21 वर्ष      |
|              |  |          | 01   | 01            | 00              | 01                 | 01          | 01                       |                        |            |   |  |              |
| <b>Total</b> |  |          | <b>108</b>                                 | <b>35</b>     | <b>03</b>       | <b>37</b>          | <b>23</b>   | <b>22</b>                | <b>07</b>              | <b>235</b> | <b>04</b>                                 | <b>10</b>                                |              |
|              |  |          | <b>32</b>                                  | <b>12</b>     | <b>02</b>       | <b>13</b>          | <b>07</b>   | <b>07</b>                | <b>07</b>              | <b>73</b>  |   |  |              |

सारणी - II (अन्य)

| क्र. सं.     | विभाग/पद/संवर्ग का नाम                              | वेतनमान  | आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ                   |               |                 |                    |             |                          |                        | कुल पद     | स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी | दिव्यांग                                 | न्यूनतम उम्र |
|--------------|---|----------|--|---------------|-----------------|--------------------|-------------|--------------------------|------------------------|------------|---|--|--------------|
|              |   |          | अनारक्षित                                  | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्ग | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | पिछड़े वर्गों की महिला |            |   |  |              |
|              |   |          | महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या |               |                 |                    |             |                          |                        |            |   |  |              |
| 01           | बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग     | Level -9 | 08   | 00            | 00              | 00                 | 01          | 01                       | 00                     | 10         | 00  | 00                                       | 21 वर्ष      |
|              |   |          | 01   | 00            | 00              | 00                 | 00          | 00                       |                        |            |   |  |              |
| 02           | वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष, वित्त विभाग | Level -9 | 38   | 16            | 01              | 23                 | 10          | 09                       | 03                     | 100        | 02  | VI - 01<br>OH - 01<br>DD - 01<br>MD - 01 | 22 वर्ष      |
|              |   |          | 12   | 05            | 00              | 06                 | 03          | 02                       |                        |            |   |  |              |
| 03           | पुलिस उपाधीक्षक (तक.), गृह विभाग (आरक्षी शाखा)      | Level -9 | 01   | 00            | 00              | 00                 | 00          | 00                       | 00                     | 01         | 00  | 00                                       | 20 वर्ष      |
|              |   |          | 00   | 00            | 00              | 00                 | 00          | 00                       |                        |            |   |  |              |
| <b>Total</b> |   |          | <b>47</b>                                  | <b>16</b>     | <b>01</b>       | <b>23</b>          | <b>11</b>   | <b>10</b>                | <b>03</b>              | <b>111</b> | <b>02</b>                                 | <b>04</b>                                |              |
|              |   |          | <b>13</b>                                  | <b>05</b>     | <b>00</b>       | <b>06</b>          | <b>03</b>   | <b>02</b>                | <b>03</b>              | <b>29</b>  |   |  |              |

- नोट:— I. दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शायी गयी है:— VI – दृष्टि दिव्यांग, DD – मूक बधिर दिव्यांग, OH – चलन दिव्यांग, MD – मनोविकार दिव्यांग/बहुदिव्यांग।
- II. प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।
- III. उक्त विज्ञापन के लिए भरे गये आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाईन (online) आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश आयोग के वेबसाईट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर उपलब्ध है।

2. शैक्षिक योग्यता:—

| क्र. सं. | परीक्षा का नाम                                | शैक्षिक योग्यता  |
|----------|---|--|
| 01       | 69वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा | मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।   |
| 02       | बाल विकास परियोजना पदाधिकारी                  | किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय (1) गृह विज्ञान (2) मनोविज्ञान (3) समाजशास्त्र (4) श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए चयन करना होगा।   |
| 03       | वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष        | किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य होगा।  |
| 04       | पुलिस उपाधीक्षक (तक.)                         | इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग (Electronics & Communication Engineering) (ii) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (Electronics & Tele-Communication Engineering) (iii) सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) (iv) इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग (Electrical & Electronics Engineering) (v) इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग एवं संचार (Instrumentation & Communication Engineering) (vi) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स संचार की विशेषज्ञता (Electrical Engineering with speciality in Electronics Communication), विषयों में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अभियंत्रण में स्नातक डिग्री या समकक्ष में पचास प्रतिशत (50%) अंकों के साथ उत्तीर्णता होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए यह उत्तीर्णता पैंतालीस प्रतिशत (45%) होगी। |

- नोट:—(i) ऑनलाईन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा।
- (ii) विशेष शैक्षिक योग्यता एवं विशेष वैकल्पिक विषय वाले पद के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा अन्यथा उक्त पद के लिए उनकी दावेदारी मान्य नहीं होगी।

3. आरक्षण:—

- (i) आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण-पत्र के आधार पर ही देय होगा। राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को मात्र महिला एवं दिव्यांगता संबंधी आरक्षण का लाभ सामान्य कोटि के अन्तर्गत ही देय होगा। इन्हें कोई अन्य आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।



- (iii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (iv) (A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-  
 (a) जाति प्रमाण-पत्र  
 (b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र
- (B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में; अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी/राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र एवं अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
- (C) आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (D) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या- 2622, दिनांक- 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्वि की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10% आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-1 (प्रपत्र-1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए।
- (v) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाईन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

आरक्षण कोटि निम्नवत् है :-

| क्र.सं. | आरक्षण कोटि  | ऑनलाईन आवेदन में आरक्षण कोटि | कोटि कोड |
|---------|--|------------------------------|----------|
| 1.      | अनुसूचित जाति (Scheduled Caste)                        | SC                           | 02       |
| 2.      | अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe)                      | ST                           | 03       |
| 3.      | अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class)          | EBC                          | 04       |
| 4.      | पिछड़ा वर्ग (Backward Class)                           | BC                           | 05       |
| 5.      | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section) | EWS                          | 07       |

- (क) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक - 962, दिनांक 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों (Persons with Benchmark Disability) को रिक्वि की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत अथवा परामर्शित/संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। अन्यथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Civil Surgeon/CMO द्वारा निर्गत) समर्पित करने की स्थिति में उम्मीदवारी ओपबधिक मानी जायेगी तथा चयन के पूर्व दिव्यांगता प्रमाण पत्र को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से संपुष्ट कराना अनिवार्य होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

**अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा।**

- (ख) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या- 10668, दिनांक 29.06.2022 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा- 2(r) के अन्तर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता (PwBD) (40% या उससे अधिक) से ग्रसित अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची-II में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिस दिव्यांग अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक (Scribe) की आवश्यकता होगी, उन्हें ऑनलाईन आवेदन के कडिका- 3 में श्रुतिलेखक की आवश्यकता कॉलम में Yes करना अनिवार्य होगा।



- (vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2342, दिनांक- 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 35% क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2526, दिनांक- 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 02% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 11687, दिनांक- 30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी परिचय पत्र मान्य नहीं है)।
- (viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या- 2622, दिनांक- 26.02.2019 एवं पत्रांक-12123, दिनांक-23.06.2023 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची - I (प्रपत्र - I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी परंतु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परन्तु इस विवाहित महिला का अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाये कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। आय एवं परिसम्पत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए बंध माना जायेगा। इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र मान्य होंगे।

अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन भरते समय किये गये दावा के अनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत सभी प्रमाण पत्र यथा Matriculation प्रमाण पत्र, स्नातक या समतुल्य डिग्री/औपबंधिक प्रमाण पत्र (Provisional Certificate), अनुसूचित जाति/जनजाती का जाति प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र, स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अधिकतम उम्र में छूट संबंधी प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि को अपलोड करते हुए निर्गत संख्या एवं तिथि ऑनलाईन आवेदन में अंकित किया जाना आवश्यक है। साक्षात्कार (व्यक्तित्व परीक्षण) के समय ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किये गये प्रमाण पत्र को ही मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उससे भिन्न निर्गत संख्या वाले प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जायेगा।

सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि (संशोधन किये जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि) तक का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

#### 4. उम्र सीमा:-

दिनांक 01.08.2023 को न्यूनतम उम्र सेवावार, 20 वर्ष, 21 वर्ष एवं 22 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित (पुरुष)- 37 वर्ष, अनारक्षित (महिला), पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)- 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)- 42 वर्ष। सारणी - I के क्रम संख्या 01 एवं सारणी-II के क्रम संख्या-03 की सेवाओं के लिए 20 वर्ष, सारणी-I के क्रम संख्या-06, 08, 09, 10 एवं सारणी-II के क्रम संख्या-01 की सेवाओं के लिए 21 वर्ष तथा सारणी-I के क्रम संख्या-02, 03, 04, 05, 07 तथा सारणी-II के क्रम संख्या-02 तक की सेवाओं के लिए 22 वर्ष होना अनिवार्य है।

**आयोग द्वारा Matriculation या समतुल्य प्रमाण-पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जायेगी।**

- (i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 6519, दिनांक 10.09.2003 के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है, परंतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-22218 (गजट), दिनांक 12.12.2022 के आलोक में बिहार सरकारी के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने हेतु निम्नांकित प्रावधान किया गया है:-

- (क) बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरान्त उनकी पूरी सेवा अवधि में आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग-अलग अधिकतम कुल पाँच अवसर ही अनुमान्य होंगे।



- (ख) उपर्युक्त निर्धारित पाँच अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारम्भ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिये गये अवसरों की एतदर्थ उपेक्षा की जाएगी।
- (ग) बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट पूर्ववत अनुमान्य होगी। परन्तु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी जा जा सकेगी जब उनके द्वारा तबतक अधिकतम 05 (पाँच) अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो।
- (ii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 962, दिनांक 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों को यथा संशोधित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगता के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।
- (iii) 01 जनवरी, 1963 के बाद एन.सी.सी. में भर्ती किए गए पूर्णकालिक कैडेट/अनुदेशकों को एन.सी.सी. से विमुक्त हो जाने के बाद राज्य सरकार के अधीन ऊपर कडिका 1 में उल्लिखित सेवाओं में पदों पर नियुक्ति के लिए अपनी वास्तविक उम्र से उतने दिन घटाने की अनुमति दी जायेगी, जितने दिनों तक उन्होंने एन.सी.सी. में पूर्णकालिक सेवा की हो और यदि परिणामी उम्र, किसी विशिष्ट सेवा या पद के लिए विहित ऊपरी उम्र सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उनके सम्बन्ध में यह माना जायेगा कि वे उन सेवाओं में या पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र की शर्तें पूरी करते हैं।
- (iv) कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी वशर्त कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।
- (v) भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई.सीओज/एस.एफ.सीओज सहित) श्रेणी के पदाधिकारी भी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिए आवेदन दे सकते हैं। ऐसे पदों पर उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्षों तक आयु शिथिलीकरण का लाभ उन्हीं भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई.सीओज/एस.एफ.सीओज सहित) को अनुमान्य होगा जिन्होंने कम से कम 5 वर्षों की लगातार सैनिक सेवा पूरी की हो एवं शर्त-समाप्ति के बाद सैनिक सेवा से विमुक्त हो गये हों अथवा छः महीने के भीतर विमुक्त होने वाले हों, बशर्त कि ऐसी विमुक्ति कदाचार, अयोग्यता, शारीरिक अक्षमता अथवा अपंगता के परिणामस्वरूप नहीं हुई हो।
- (vi) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (ई.सीओज/एस.एफ.सीओज सहित) जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, वैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को राज्य सरकार की सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण का जो लाभ दिया गया है, उसका समावेश विचाराधीन छूट में कर लिया जायेगा। पूर्व में दी गई छूट के अतिरिक्त विचाराधीन छूट अनुमान्य नहीं होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूतपूर्व सैनिक एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई.सीओज/एस.एफ.सीओज सहित) की कारा सेवा हेतु अधिकतम उम्र सीमा तीन वर्ष तथा अन्य सेवाओं के लिए पाँच वर्ष अधिक होगी।
- (vii) सैन्य सेवा से विमुक्त ऐसे उम्मीदवार, जिन्होंने उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण के लाभ का दावा किया हो, सक्षम पदाधिकारी से सैन्य सेवा से विमुक्त होने अथवा ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि से छः महीने के भीतर विमुक्त होने वाले हों, का प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- (viii) निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (ix) उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही-सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा।

#### 5. शारीरिक क्षमता :-

उम्मीदवार स्वस्थ, सुगठित शरीर वाला और सक्रिय हो तथा उसे किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए, जिससे कर्तव्यों का भली भाँती पालन करने में बाधा हो। चिकित्सक बोर्ड द्वारा जाँच के बाद यदि उम्मीदवार इन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह नियुक्ति के लिए नहीं चुना जायेगा।

बिहार पुलिस सेवा/जिला समादेष्टा/जिला अग्निसमन पदाधिकारी के लिए पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट 5 इंच और न्यूनतम छाती की माप, बिना फुलाये, 32 (बत्तीस) इंच होनी चाहिए। परन्तु, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के प्रसंग में उपर्युक्त शारीरिक माप के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उनकी न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट 3 इंच तथा छाती की माप, बिना फुलाये, 31 (एकतीस) इंच होनी चाहिए। महिलाओं की न्यूनतम ऊँचाई 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा संबंधी विनियमावली (परिशिष्ट 'ख') में प्रकाशित है।



6. शुल्क :-

अभ्यर्थियों को प्रत्येक परीक्षा (यथा 69<sup>th</sup> CCE / CDPO / FAO / Dy. Sp (Tech.) के लिए Biometric fee के रूप में 200/- (दो सौ) रुपये तथा अलग-अलग प्रत्येक परीक्षा (यथा 69<sup>th</sup> CCE / CDPO / FAO / Dy. Sp (Tech.) के लिए कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना है:-

- (i) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए- 600/- (छः सौ) रुपये
- (ii) केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए- 150/- (एक सौ पचास) रुपये
- (iii) बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग) महिला उम्मीदवारों के लिए- 150/- (एक सौ पचास) रुपये
- (iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए- 150/- (एक सौ पचास) रुपये
- (v) अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए- 600/- (छः सौ) रुपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

नोट:- (1) वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या (Aadhaar No.) अंकित किया जाता है, उन्हें Biometric fee के रूप में 200/- (दो सौ) रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।

- (2) वैसे सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी/बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी महिला अभ्यर्थी, जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण, दिव्यांगता एवं बिहार राज्य के स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

7. एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना

I. प्रारम्भिक परीक्षा (भाग-1):-

- (i) एकीकृत संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी और कुल अंक 150 होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा।
- (ii) प्रारम्भिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन (Negative Marking) किया जायेगा।
- (iii) प्रारम्भिक परीक्षा महज जाँच परीक्षा होगी, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जायेगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की दस (10) गुणी होगी। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जायेगा।
- (iv) इस प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात् बिहार की अर्थ-व्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवम् सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे।
- (v) इस प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य होगी और इसके लिए कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 2374, दिनांक 16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक - 962, दिनांक-22.01.2021 के द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।



## II. मुख्य (लिखित) परीक्षा (भाग-2):-

| क्र.सं. | परीक्षा/पद का नाम                 | अनिवार्य विषय (विषय कोड)  | वैकल्पिक विषय   | विषय कोड |
|---------|-----------------------------------|---|---|----------|
| 01      | 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा | (i) सामान्य हिन्दी (01) - 100 अंक<br>(इस विषय में 30 प्रतिशत लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किन्तु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी।)<br>(ii) सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र (02) - 300 अंक<br>(iii) सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र (03) - 300 अंक<br>(iv) निबंध (38) - 300 अंक | निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा, जो 100 अंक (100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ/MCQ आधारित) का होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा परन्तु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी। |          |
|         |                                   |   | कृषि विज्ञान  | 04       |
|         |                                   |   | पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान  | 05       |
|         |                                   |   | मानव विज्ञान  | 06       |
|         |                                   |   | वनस्पति विज्ञान   | 07       |
|         |                                   |   | रसायन विज्ञान   | 08       |
|         |                                   |   | सिविल इंजीनियरिंग   | 09       |
|         |                                   |   | वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि   | 10       |
|         |                                   |   | अर्थशास्त्र   | 11       |
|         |                                   |   | विद्युत इंजीनियरिंग   | 12       |
|         |                                   |   | भूगोल   | 13       |
|         |                                   |   | भू-विज्ञान  | 14       |
|         |                                   |   | इतिहास  | 15       |
|         |                                   |   | श्रम एवं समाज कल्याण  | 16       |
|         |                                   |   | विधि  | 17       |
|         |                                   |   | प्रबन्ध   | 18       |
|         |                                   |   | गणित  | 19       |
|         |                                   |   | यांत्रिक इंजीनियरिंग  | 20       |
|         |                                   |   | दर्शन शास्त्र   | 21       |
|         |                                   |   | भौतिकी  | 22       |
|         |                                   |   | राजनीति विज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंध   | 23       |
|         |                                   |   | मनोविज्ञान  | 24       |
|         |                                   |   | लोक प्रशासन   | 25       |
|         |                                   |   | समाज शास्त्र  | 26       |
|         |                                   |   | सांख्यिकी   | 27       |
|         |                                   |   | प्राणी विज्ञान  | 28       |
|         |                                   |   | हिन्दी भाषा और साहित्य  | 29       |
|         |                                   |   | अंग्रेजी भाषा और साहित्य  | 30       |
|         |                                   |   | उर्दू भाषा और साहित्य   | 31       |
|         |                                   |   | बंगला भाषा और साहित्य   | 32       |
|         |                                   |   | संस्कृत भाषा और साहित्य   | 33       |
|         |                                   |   | फारसी भाषा और साहित्य   | 34       |
|         |                                   |   | अरबी भाषा और साहित्य  | 35       |
|         |                                   |   | पाली भाषा और साहित्य  | 36       |
|         |                                   |   | मैथिली भाषा और साहित्य  | 37       |



| क्र.सं. | परीक्षा/पद का नाम                      | अनिवार्य विषय (विषय कोड)   | वैकल्पिक विषय   | विषय कोड |
|---------|--|--|---|----------|
| 02      | बाल विकास परियोजना पदाधिकारी           | (i) सामान्य हिन्दी (01) - 100 अंक (इस विषय में 30 प्रतिशत लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किन्तु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी।)<br>(ii) सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र (02) - 300 अंक<br>(iii) सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र (03) - 300 अंक                              | निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा, जो 300 अंक (विषयनिष्ठ आधारित) का होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जायेगी। |          |
|         |  |  | गृह विज्ञान   | 39       |
|         |  |  | मनोविज्ञान  | 40       |
|         |  |  | समाजशास्त्र   | 41       |
|         |  |  | श्रम एवं समाज कल्याण  | 42       |
| 03      | वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष | (i) सामान्य हिन्दी (01) - 100 अंक (इस विषय में 30 प्रतिशत लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किन्तु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी।)<br>(ii) सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र (02) - 300 अंक<br>(iii) सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र (03) - 300 अंक                              | निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा, जो 300 अंक (विषयनिष्ठ आधारित) का होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जायेगी। |          |
|         |  |  | वाणिज्य   | 43       |
|         |  |  | अर्थशास्त्र   | 44       |
|         |  |  | गणित  | 45       |
|         |  |  | सांख्यिकी   | 46       |
| 04      | पुलिस उपाधीक्षक (तकनीकी)               | (i) सामान्य हिन्दी (01) - 100 अंक (इस विषय में 30 प्रतिशत लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किन्तु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी।)<br>(ii) सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र (02) - 300 अंक<br>(iii) सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र (03) - 300 अंक<br>(iv) निबंध (38) - 300 अंक | निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा, जो 300 अंक (विषयनिष्ठ आधारित) का होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जायेगी। |          |
|         |  |  | इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग (Electronics & Communication Engineering)  | 47       |
|         |  |  | इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (Electronics & Tele-Communication Engineering)   | 48       |
|         |  |  | सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology)   | 49       |
|         |  |  | इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग (Electrical & Electronics Engineering)   | 50       |
|         |  |  | इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग एवं संचार (Instrumentation & Communication Engineering)  | 51       |
|         |  |  | इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स संचार की विशेषज्ञता (Electrical Engineering with speciality in Electronics Communication)   | 52       |

**टिप्पणी :-**

- प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु अलग से ऑनलाईन आवेदन पत्र भरवाया जाएगा जिसमें सफल अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क (मुख्य परीक्षा हेतु) विहित प्रक्रिया से जमा करना होगा।
- एकीकृत मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा के सभी पदों के लिए अंकित अनिवार्य विषय वहीं होंगे, जो 69वीं संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अनिवार्य विषय है।
- एकीकृत मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा के विभिन्न पदों के लिए दिए गये वैकल्पिक विषय अलग होंगे, जिसमें से किसी एक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा।

*[Handwritten Signature]*



- (i) प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे।
  - (ii) सभी भाषेत्तर विषयों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) या अंग्रेजी या उर्दू लिपि में से किसी एक ही भाषा में उत्तर दिया जा सकता है। अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवारों को नहीं होगी।
  - (iii) प्रश्न पत्रों के उत्तर देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहें तो केवल तकनीकी शब्द, वाक्यांश/उद्धृत अंश, यदि कोई है, का, चुनी गई भाषा के साथ, अंग्रेजी रूपान्तरण दे सकते हैं। इससे भिन्न स्थिति होने पर ऐसे उत्तर पुस्तिकाओं को मान्य करने/नहीं करने के संबंध में आयोग निर्णय लेगा।
  - (iv) कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 2374, दिनांक 16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक - 10668, दिनांक-29.06.2022 के द्वारा मुख्य (लिखित) परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।
  - (v) मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधियाचित रिक्तियों के ढाई (2½) गुणा होगी। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन व्यक्तित्व परीक्षण के लिए किया जायेगा।
- III. व्यक्तित्व परीक्षण (भाग-3) :-**
- (i) मुख्य परीक्षा में सफलीभूत उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण 120 अंकों का होगा।
  - (ii) व्यक्तित्व परीक्षण हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे अंतिम परीक्षाफल हेतु बनाये जाने वाले मेधा सूची में शामिल नहीं किये जायेंगे।

**अधिमानता का चुनाव :-**

साक्षात्कार के समय अधिमानता कोड एवं सेवा/पद का नाम का उल्लेख स्पष्ट रूप से करेंगे तथा रिक्त कॉलम को स्पष्टतः क्रॉस (X) करेंगे। जिस पद के लिए उम्मीदवार द्वारा अधिमानता अंकित नहीं की जायेगी, उस पद के लिए बाद में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किसी प्रकार के दावा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

**स्वास्थ्य परीक्षण:-**

व्यक्तित्व परीक्षण के पश्चात सभी उम्मीदवारों की आयोग में गठित चिकित्सक बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य जाँच अनिवार्य है। उक्त जाँच के समय नकद 16/रु. (सोलह रूपया) मात्र जमा करना अनिवार्य है। चिकित्सक बोर्ड द्वारा जाँच के बाद यदि उम्मीदवार विहित सेवा के लिए निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह उस सेवा के नियुक्ति के लिए नहीं चुना जायेगा।

- (ii) आयोग बेंचमार्क दिव्यांगता से ग्रसित अभ्यर्थी (PwBD) द्वारा दावा किये गये दिव्यांगता की परीक्षण कराने के लिए स्वतंत्र होगा एवं परीक्षणोपरांत प्राप्त दिव्यांगता प्रतिशत अनुमान्य किया जायेगा।

**मेधा सूची:-**

- (i) 69वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा के 900 अंक (सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र - 300 अंक, सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र- 300 अंक, निबन्ध-300 अंक) एवं साक्षात्कार के लिए 120 अंक कुल - 1020 अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार करते हुए आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन किया जायेगा।
- (ii) बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए मुख्य परीक्षा के 900 अंक (सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र - 300 अंक, सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र- 300 अंक एवं एक ऐच्छिक विषय-300 अंक) एवं साक्षात्कार के लिए 120 अंक कुल- 1020 अंकों के आधार पर पदवार मेधा सूची तैयार करते हुए आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन किया जायेगा।
- (iii) पुलिस उपाधीक्षक (तकनीकी) के लिए मुख्य परीक्षा के 1200 अंक (सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र - 300 अंक, सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र- 300 अंक, निबन्ध - 300 अंक एवं एक ऐच्छिक विषय - 300 अंक) एवं साक्षात्कार के लिए 120 अंक कुल- 1320 अंकों के आधार पर पदवार मेधा सूची तैयार करते हुए आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन किया जायेगा।
- (iv) अंतिम मेधा सूची में समान प्राप्तांक होने की स्थिति में जिस उम्मीदवार को मुख्य (लिखित) परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त है उसे मेधा क्रम में उपर रखा जायेगा। मुख्य (लिखित) परीक्षा के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में वैकल्पिक विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित किया जायेगा, वैकल्पिक विषय का प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्मीदवार की जन्मतिथि के आधार पर अधिक उम्र तथा जन्म तिथि समान होने पर उम्मीदवार के नाम को देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार मेधाक्रम में स्थान दिया जायेगा।
- (v) मेधाक्रमानुसार उम्मीदवारों द्वारा भरी गयी सेवा अधिमानता एवं रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर पद का आवंटन किया जायेगा।



- (vi) आयोग सफल उम्मीदवार को विज्ञापन में वर्णित किसी भी सेवा/पद के लिए अनुशंसित करने का अधिकार रखता है, जिसके लिए उम्मीदवार ने इच्छा प्रकट की है तथा जिसके लिए आयोग उसे योग्य समझता है।
9. वैसे अभ्यर्थी प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/किसी राज्य लोक सेवा आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक, कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।
10. एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन भरा जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की गलत/भ्रामक सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जबाबदेह होंगे। गलत या भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थिता के संबंध में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
11. जिन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाती है, वे अभ्यर्थिता निरस्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं। अतः उन अभ्यर्थियों का प्राप्तांक नहीं दिया जायेगा।
12. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:-

(i)

|    |                                    |            |
|----|------------------------------------|------------|
| 1. | ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि | 15.07.2023 |
| 2. | ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि    | 05.08.2023 |

- अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन/कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
- ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को सभी संबंधित प्रमाण-पत्र/कागजात को **PDF Format** में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है।
- अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये शैक्षणिक योग्यता एवं आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किये गये प्रमाण पत्रों की जाँच नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।
- (ii) ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश आयोग के आधिकारिक वेबसाइट [www.bpsc.bih.nic.in/www.onlinebpsc.bihar.gov.in](http://www.bpsc.bih.nic.in/www.onlinebpsc.bihar.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि से प्रदर्शित की जायेगी।

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे।

(A) रजिस्ट्रेशन एवं Application की विवरणी भरने के बाद Edit करने का Option रहेगा, जो Payment करने के पूर्व तक ही उपलब्ध होगा, इसमें अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी किसी भी प्रविष्टि में Edit करने का प्रावधान रहेगा।

(B) परीक्षा शुल्क के ऑनलाइन Payment करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में प्रविष्टि की गई सारी सूचनाएँ सही हैं। Payment के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गयी प्रविष्टि में Edit का कोई प्रावधान नहीं होगा।

(C) परीक्षा शुल्क के ऑनलाइन Payment के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध "Download Filled Application Section" से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर लेंगे।

नोट:- वैसे अभ्यर्थी, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो फिर भी किसी त्रुटि के दृष्टिगत अपना आवेदन Cancel करना चाहते हों, वे आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व अपने Application को Cancel करते हुए उसी Mobile No./Email ID से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नये सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

ऑनलाइन आवेदन में भरे गये सूचनाओं का मूल प्रमाण-पत्र/अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

(iii) अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।

(iv) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी 0

अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई0डी0 अंकित नहीं करेंगे।

- (v) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (vi) अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट (अच्छी) तस्वीर Webcam के माध्यम से खींच कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
- (vii) अभ्यर्थी हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।
- (viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-10668, दिनांक-29.06.2022 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक का दावा करने के स्थिति में ऑनलाइन आवेदन में अंकित श्रुतिलेखक की आवश्यकता है या नहीं (Yes/No) को Select करने के पश्चात् ही श्रुतिलेखक (Scribe) उपलब्ध कराया जायेगा।
- (ix) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन फोटोग्राफ की पाँच प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।
- (x) ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
- (xi) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर **Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number** अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- (xii) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

13. महत्वपूर्ण निर्देश :-

- (i) अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध "Download Filled Application Section" से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र/कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
14. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जायेगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।
15. शैक्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है।
16. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
17. इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अलग से, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे तथा परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
18. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाएं। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
19. इस प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम (Syllabus) आयोग के वेबसाईट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर उपलब्ध है।

*dm'*  
27/06/23

परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना